प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

दिपावली के शुभ अवसर पर सभी संबंधियों, मित्रों और पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबके मन दिव्य आलोक से ओत प्रोत हों और राम की तरह अन्याय को वेध सकें।

वर्ष 43 अंक-44 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 29-05 नवम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

सर्वोच्च न्यायालय से मिली धूमल, अनुराग को बड़ी राहत

तीन अपराधिक मामलों में दर्ज एफआईआर हुई रद्द

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जमीनें हथियाने व एचपीसीए को सोसायटी से कंपनी बनाने को लेकर दर्ज मामले व निचली अदालत में चले ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार व मुख्यमंत्री पद को खो देने के बाद धूमल व उनके बेटे अनुराग के लिए यह बड़ी राहत हैं।

प्रदेश में इस मामले में अक्तूबर के पहले सप्ताह में न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे अब अदालत में सुना दिया गया और अनुराग ठाकुर की तीन याचिकाओं का निपटारा कर उन्हें राहत दे दी । न्यायमूर्ति ए के सीकरी, अशोक भूषण और अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि वह अनुराग ठाकुर व बाकियों की याचिकाओं को मंजूर करते हैं।

दिसबंर 2012 में वीरभद्र सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश विजीलेंस ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के लिए कानून की मंजूरी लिए वगैर जमीन लेने, एचपीसीए को कंपनी बनाने, सरकारी जमीन पर कबजा करने व पेड़ काटने को लेकर कई एफआइआर दर्ज की थी। मुख्य मामला क्रिकेट स्टेडियम की जमीन व होटल पैवेलियन को लेकर था और धर्मशाला में एचपीसीए के क्रिकेट स्टेडियम समेत तमाम संपतियों को रातों रात कब्जे में ले लिया था। लेकिन प्रदेश हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए बाद में सारी संपतियां एचपीसीए को सौंपने के आदेश दिए थे। विभिन्न मामलों में एफआईआर दर्ज करने के बाद विजीलेंस ने धर्मशाला स्थित अदालत में चालान भी दायर कर दिए थे। अदालत की ओर से अनुराग ठाकुर, उनके पिता प्रेम कुमार धूमल को अदालत में सम्मन करने के आदेश के खिलाफ अनुराग ठाकुर ने प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजूर अहमद मीर ने 25 अप्रैल 2014 को अनुराग की याचिका को खारिज कर दिया था। मीर ने एफआईआर को रद्द करने व ट्रायल को स्टे करने से इंकार कर दिया था। इसके खिलाफ अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी व वीरभद्र सिंह को नाम से पार्टी बना दिया। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा।

इस बीच, दिसंबर 2017 में प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार सत्ता में आ गई और सरकार ने इन मामलों को राजनीति से प्रेरित बताकर वापस लेने की मुहम चलाई। इस बावत प्रदेश के महाधिवक्ता अशोक शर्मा भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला वहां होना जहां ये चल रहे हैं। अदालत ने अनुराग ठाकुर को निर्देश

दिए कि वह अगली सुनवाई पर अदालत को बताएं कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं या अदालत मेरिट पर सुनवाई करे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह मेरिट पर फैसला चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एके सीकरी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाते हुए एफआईआर और ट्रायल को रद्द कर दिया।

वीरभद्र सिंह सरकार में स्टेडियम के लिए शिक्षा विभाग की इमारतें गिराने के मामले में विजीलेंस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसका भी चालान धर्मशाला की अदालत में दायर हो गया था। अनुराग ठाकुर ने इस मामले में भी एफआईआर रद्द करने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान ने खारिज कर एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया था।

अनुराग ठाकुर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है व इसकी सुनवाई 12 नवबर को होनी है। इस याचिका को 1-10-18 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया है और इसमें राज्य सरकार को सचिव

शेष पृष्ठ 8 पर.....

HIMACHAL PRADESH CRICKET ASSOCIATION vs. THE STATE OF HIMACHAL PRADESH

Case Details

Diary No.	**38932/2014** Filed on 27-11-2014 12:41 PM [SECTION: II-C] **DISPOSED**
Case No.	Crl.A. No. 001258 - 001259 / 2018 Registered on 03-10-2018 SLP(Crl) No. 000128 - 000129 / 2015 Registered on 05-01-2015 SLP(Crl.)...CRLMP No. 025009 - 025010 / 2014 Registered on 16-12-2014
Present/Last Listed On	**02-11-2018** [HON'BLE MR. JUSTICE A.K. SIKRI, HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK BHUSHAN and HON'BLE MR. JUSTICE AJAY RASTOGI]
Status/Stage	DISPOSED (Motion Hearing FOR JUDGEMENT) Case Allowed-Ord dt:02-11-2018 (Disposal Date: 02-11-2018, Month: 11, Year: 2018) JUDGES: HON'BLE MR. JUSTICE A.K. SIKRI, HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK BHUSHAN, HON'BLE MR. JUSTICE AJAY RASTOGI Judgement Pronounced by : HON'BLE MR. JUSTICE A.K. SIKRI of the bench comprising : HON'BLE MR. JUSTICE A.K. SIKRI, HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK BHUSHAN
Disp.Type	Allowed

वीरभद्र के कारोबारी मित्र वक्कामुल्ला की जमानत रद्द करने से अदालत का इन्कार

शिमला/शैल। वीरभद्र के बहुचर्चित मनी लॉडरिंग मामले में ईडी ने दो बार अलग-अलग आदेशों से इनकी संपत्तियां अटैच की थी। इसी मामले में सह अभियुक्त बनाये गये एल आई सी ऐजैन्ट आन्नद चौहान को गिरफ्तारी के ड़ेढ साल बाद जमानत मिली। आन्नद चौहान के अतिरिक्त इसी मामले में वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर की भी गिरफ्तारी हुई और फिर जमानत मिली। इन दोनों सह अभियुक्तों के अतिरिक्त और किसी की भी इसमें ई डी ने गिरफ्तारी नही की है। इस मामले में वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह मुख्य आरोपी हैं और दोनों जमानत पर हैं।

अब अचानक ई डी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर की जमानत रद्द करने की याचिका दायर कर दी। यह याचिका जस्टिस गावा की पीठ में सुनवाई के लिये आयी। इस याचिका के दायर होने से ई डी और मोदी, जेटली सरकार की कारवाई एक बार फिर सवालों में आ गयी है क्योंकि अब अगले कुछ समय में लोक सभा के चुनाव होने हैं। पिद्दले चुनावों में इस मामले को खूब भुनाया गया था। लेकिन अब यही मामला प्रदेश की जयराम सरकार पर भारी पड़ जायेगा क्योंकि इसे शुरू से ही राजनीति से प्रेरित करार दिया जा रहा था। ऐसे में क्या वक्कामुल्ला की जमानत रद्द करवाकर मोदी-जेटली वीरभद्र पर केवल दवाब बनाने का प्रयास कर रहे थे या इससे आगे भी उनकी कोई और रणनीति थी जो उच्च न्यायालय के आदेश से धराशायी हो गयी।

अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए ईडी से पूछा कि उसने जांच के दौरान मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया था। अदालत ने पूछा कि वह सह आरोपी की जमानत किस आधार पर रद्द करने की मांग अदालत से कर रहे है जबकि मुख्य आरोपी की जमानत को रद्द करने जैसी कोई बात ही नहीं हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस आर के गाबा के इन सवालों का ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। स्थिति को देखते हुए जस्टिस गाबा ने ईडी के वकीलों से कहा कि वह एजेंसी से दोपहर बाद तक अदालत को बताएं की उनका क्या जवाब हैं।

कोई जवाब न होने की वजह से इडी ने दोपहर बाद वक्कामूला चंद्रशेखर की जमानत को रद्द करने के लिए ईडी की ओर से दायर अर्जी को वापस ले लिया। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे वकील नितेश राणा ने कहा कि ईडी ने अपनी अर्जी वापस ले ली।

जस्टिस गाबा की अदालत में ईडी ने तारिणी इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक वक्कामूला चंद्र शेखर की जमानत को खारिज करने को लेकर दायर अर्जी की सुनवाई हो रही थी। ईडी की दलील थी कि इस मामले में वह वक्कामूला से कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती हैं। चूंकि वक्कामूला से बहुत से सवालों व लेनदेन के जवाब नहीं मिले हैं। इस पर अदालत ने ईडी पर सवालों की झड़ी लगा दी। वक्कामूला ने ईडी की इस अर्जी का जमकर विरोध किया और कहा कि ईडी गलत कर रही है।

वक्कामूला चंद्रशेखर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कारोबारी मित्र हैं और वीरभद्र सिंह ने उनसे बिना ब्याज का कर्ज लिया था। इसके अलावा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य व अपराजिता सिंह की कंपनियों से भी वक्कामूला की कंपनियों का लेने देन था।

ईडी का मानना था कि ये सारा पैसा वीरभद्र सिंह का ही है और इसे सफेद करने के लिए वक्कामूला के जरिए सर्कुलेट कराया गया है।

धन शोधन के इस मामले में वीरभद्र सिंह, उनके परिवार के सदस्यों, सेब के आढ़ती चुन्नी लाल, वक्कामूला चंद्रशेखर, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान समेत सभी आरोपियों के खिलाफ ईडी की अदालत में पहले ही चालान दायर हो चुका है।

मनी लॉड्रिंग के इस मामले में जांच के दौरान ईडी की ओर से वीरभद्र सिंह को गिरफ्तार न करने पर ईडी पर सवाल उठे थे जबकि ईडी ने आनंद चौहान को डेढ़ साल तक जेल में रखा था। आय से अधिक संपति मामले में सीबीआई ने भी वीरभद्र सिंह व बाकियों को गिरफ्तार नहीं किया था।

समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हरियाणा राज्य के अम्बाला में चमन वाटिका गुरूकुल के वार्षिक समारोह 'सपन्दनम' को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्राएं पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि बालिका शिक्षा से समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है।

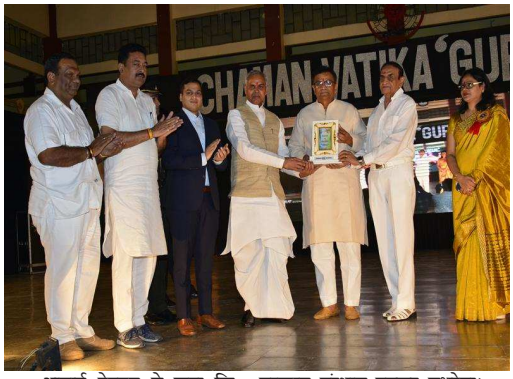

आचार्य देवव्रत ने कहा कि आज लड़कियां उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपना रास्ता स्वयं बना रही हैं। उन्होंने कहा कि यह गुरूकुल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान' से प्रेरित होकर आरम्भ किया गया है तथा अपने चार वर्ष के छोटे-से कार्यकाल में इस गुरूकुल ने कई मील पत्थर हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अतिरिक्त लड़कियां खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं तथा वे इस गुरूकुल के माध्यम से नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान चलाना कोई कारोबार नहीं है बल्कि यह बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक मिशन है, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्थान बनकर उभरेगा।

इससे पूर्व, हरियाणा के कृषि मंत्री ओ.पी. धनखड़ ने समारोह में अपने विचार रखें। माइक्रोटेक के निदेशक सौरभ गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा मूल्य आधारित शिक्षा पर बल दिया।

इस अवसर पर छात्रओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। चमनवाटिका गुरूकुल की प्रधानाचार्या सोनाली शर्मा ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी।

पांच जनमंचों में 15 हजार शिकायतों का समाधानः जयराम

शिमला/शैल। जनजातीय जिला किन्नौर की ग्राम पंचायत स्पीलो के अंतर्गत 6 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर लिप्पा से कोरला के लिए एक प्रमुख सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस वर्ष दिसम्बर में समाप्त हो रही नौतोड़ की अवधि को बढ़ाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात किन्नौर जिले के पूह में 5.73 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना की आधारशिला रखने के उपरान्त जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही। यह योजना क्षेत्र की 230 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर न केवल राज्य का सबसे बड़ा जिला है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी हासिल करने के एकमात्र लक्ष्य को लेकर वह राज्य के 50 निर्वाचन सभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता उनकी दिल्ली यात्राओं को लेकर अनावश्यक हो-हल्ला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज्य तथा इसके लोगों के प्रति प्यार और स्नेह के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश के लिए 9000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने में सफलता हासिल की है। जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान सहित 30 नई योजनाओं की शुरूआत की है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि राज्य के विकास के लिए इतनी संख्या में नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यावसायियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित पांच जन मंचों के दौरान 15000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है और इस कार्यक्रम से लोगों की समस्याओं का उनके घरद्वार के समीप तीव्र समाधान सुनिश्चित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा वित्तीय कुप्रबन्धन तथा अनावश्यक खर्चों के कारण कि पिछली राज्य सरकार से राज्य को 46.500 करोड़ रुपये का ऋण बोझ विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने बिना किसी बजट प्रावधान के अनेक स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थान खोले।

जय राम ठाकुर ने नमज्ञायीं सिंचाई नहर के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तथा रोपा गांव में सामुदायिक सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने रमन से ग्याबां सिंचाई योजना के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तथा डुबलिंग पंचायत के टिटंग में सामुदायिक सभागार के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रोपा खड्ड से छोटी शिव के लिए उठाऊ सिंचाई योजना ग्याबां तथा डुबलिंग गांव में बाढ़ नियंत्रण कार्य किए जाएंगे और इसका प्राक्कलन तैयार करने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शहरी मिशन योजना मूरंग की आधारशिला रखी और 74.50 लाख रुपये की लागत से मूरंग में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रारंग का लोकार्पण किया।

उन्होंने मूरंग में टिमचे कूहल के लिए 70 लाख रुपये देने की भी घोषणा की तथा इस अवसर पर लोगों की जनसमस्याएं भी सुनीं।

कृषि एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने जनजातीय उप-योजना के तहत आवंटन में उपयुक्त वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हि.प्र. वन निगम के उपाध्यक्ष सुरत नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री से वन अधिकार अधिनियम, 2006 को जनजातीय लोगों के अनुकूल बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से जिला के जरूरतमंद लोगों को 27 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

मुख्यमंत्री, इसके उपरांत जिला मुख्यालय रिकांगपिओ पहुंचे जहां उन्होंने 4.26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले उप-कारावास भवन दारवो तथा 2.50 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने 2.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जिला स्तरीय सम्मेलन कक्ष का लोकार्पण भी किया। जय राम ठाकुर ने रिकांगपिओ में 2.38 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मिनी स्टेडियम का लोकार्पण किया तथा रिकांगपिओ में 3.26 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली जलापूर्ति योजना कल्पा की आधारशिला रखी।

प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में हुआ 19645 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद 31 अक्तूबर, 2018 तक ट्रिब्यूनल के समक्ष कुल 29515 मूल आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 19645 का अन्तिम निपटारा किया जा चुका है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्त ने कहा कि उपरोक्त आवेदनों के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 662 अवमानना याचिकाओं, 32 समीक्षा याचिकाओं, 100 निष्पादन याचिकाएं और 8123 विविध याचिकाओं का निपटारा भी किया गया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से 6481 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 1556 मामलों का निपटारा किया गया है।

उन्होंने कहा कि 18 अप्रैल, 2017 तथा 14 अप्रैल, 2018 को दो सदस्यों द्वारा कार्यालय छोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में वर्तमान में माननीय अध्यक्ष बैंच और एक माननीय न्यायिक सदस्य बैंच कार्य कर रहे हैं।

HIMACHAL PRADESHPUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer Ghumarwin Division, HP-PWD, Ghumarwin on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids in electronic tendering system for the following work:-

Sr.No.	Name of work	Estimated Cost	EMD	Cost of tender	Time Limit
1.	Providing Consultancy for carrying out feasibility study and Detail Project Report preparation for Construction of Major Bridge of 330.00 mtr Span over back water of Govind Sagar Reservoir at Nand Nagroun on Panol Jhandutta Nand Nagroun Chajoti Jejwin (MDR) Road.)	Rs 16,87,000/-	Rs 85,000/-	500/-	Three Month

2. Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 10.11.2018 (dd/mm/yyyy)
3. Cost of Bid Form: Rs 500/- per (non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer, Ghumarwin Division, HP-PWD, Ghumarwin.
4. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website **http://hptenders.gov.in** bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: **http://hptenders.gov.in** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
***Non-registered bidders may submit bids, however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract. The contractor must have done the work of similar nature .**
5. Submission of Original Documents: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security in approved form and (c) form no 7/8 duly signed by contractor with bid document as per provisions of general rules No 27 with Executive Engineer, Ghumarwin Division, HP-PWD, Ghumarwin on a date not later than seven working days after the opening of technical qualification part of the Bid, either by registered post or by hand, failing which the bids will be declared non-responsive.
6. Last Date/ Time for receipt of bids through e-tendering: 25-11-2018 (dd/mm/yyyy) upto 10.00 A.M. (time)
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website **http://hptenders.gov.in.** The bids shall be opened on 25-11-2018 at 11-00 A.M. hrs in the office Executive Engineer, Ghumarwin Division, HPPWD. Ghumarwin by the authorised officer. In the interest of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.: 3020/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
सिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"Notice Inviting Tender"

Sealed item rate tender on form No.6 and 8 are hereby invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD., So as to reach in this office on or before 29.11.2018 up to 11.00 A.M. and tender will be opened on the same day at 12.00 Noon in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment (non refundable) up to 05.00 pm on or before 28.11.2018.

The earnest money in the shape of F.D.R./time deposited in HP duly pledged in favour of Executive Engineer, Nahan Division, HP. PWD., Nahan must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The undersigned reserve the right to reject any or all tender without assigning any reasons. The offer of the tender will be kept opened for 120 days.

Work No.1:- A/R & M/O to various roads under Dadahu Sub Division.(SH:- R/O pot holes in various reaches), Estimated cost:- 495800/- Earnest Money:- 10,000/- Time limit:- One month, Cost of tender form:-350/-

Work No.2:- A/R & M/O to various roads under Nahan Sub Division.(SH:- R/O pot holes in various reaches), Estimated cost:- 495800/- Earnest Money:- 10,000/- Time limit:- One month, Cost of tender form:-350/-

Terms & Conditions:-
1. The Contractors/Bidders must quoted their Permanent Income Tax Account Number/GST number on the tender along with the copy of the same be attached with the application.
2. The Contractors/Firms should attach copy of the Registration/Renewal with the application.
3. The Contractors/Bidders should quote his rates Both in Figures and words. Where there is any discrepancy between the rates in figures and words, the rates in words will be governed.
4. Contractors/Bidders must inspect the site to ascertain/familiar the site conditions, accessibility etc. before quoting the bid/tender.
5. Conditional and telegraphic tender shall not be accepted and rejected straightway. Tender received after due date and time will be rejected.
6. The contractor/firms should have to produce the details of works in hand in HP. PWD., and its position thereof along with applications.
7. The tender documents shall be issued to only those contractors Who does not have more then two works in hand in any PWD Circle/ Division worth Rs.1.00 crore each.
8. The contractor shall have to establish testing laboratory at site for the day to day testing of the material.
9. The offer shall remain valid up to 120 days.
10. Executive Engineer reserve the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

Adv. No.: 3093/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

मुख्यमंत्री द्वारा सीओएच एण्ड एफ नेरी के लिए पीजी खण्ड तथा आवासों की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों को वर्ष 2022 तक किसानों की उनकी आय दोगुना करने में मदद करने का महत्वपूर्ण योगदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राज्य सरकार राज्य के शीत क्षेत्र में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय

मुख्यमंत्री ने बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय में पीजी खण्ड के निर्माण के लिए 6.70 करोड़ रुपये एवं छात्र व छात्राओं के छात्रावास के लिए 5.78 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने उपायुक्त को महाविद्यालय परिसर के साथ लगती 23 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए।

नेरी जैसा अन्य संस्थान सृजित करने के प्रयास कर रही है और मामला स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के पास है।

मुख्यमंत्री 235 लाख रुपये की लागत से निर्मित ज्वालाजी नामक छात्रावास भवन तथा 479 लाख रुपये की लागत से निर्मित बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय के यूजी खण्ड के लोकार्पण के उपरान्त नेरी में बोल रहे थे।

जय राम ठाकुर ने बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी को अपने सात वर्ष के समय में तीव्र गति से प्रगति करने के लिए बधाई दी।

जय राम ठाकुर ने विपक्ष को गलत प्रचार करने के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। उन्होंने गुजरात सरकार का हिमाचल भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद किया तथा कहा कि लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 562 रियासतें थी तथा इनके एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को जाता है, क्योंकि वह एक मात्र व्यक्ति थे, जिन्होंने इस कार्य को अपने हाथों में लिया तथा पूरी कामयाबी के साथ इसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का कार्य अपने हाथों में लिया तथा 182 मीटर ऊंची प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की है, जोकि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने जिला पुस्तकालय हमीरपुर के 400 लाख रुपये की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया, जिससे जिले के विद्यार्थी, शोधार्थी तथा आम पाठक लाभान्वित होंगे। उन्होंने 56 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित मटन सिद्ध-हमीरपुर सड़क पर दुगत खड्ड पुल का उद्घाटन किया।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय डॉवाईएसपरमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के अधीन 2011 में शुरू किया गया था। उन्होंने संस्थान का अपने संसाधनों से अधोसंरचना विकसित करने की सराहना की।

सांसद अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर हमीरपुर-शिमला सड़क पर डुग्गा खड्ड पुल का निर्माण छः महीने में करवाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

कुलपति डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय डॉ. हरि चन्द शर्मा ने मुख्य अतिथि तथा अन्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की मांगें रखीं।

केन्द्र द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी

शिमला/शैल। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 100 करोड़ रुपये के तीन और प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार का केन्द्र के साथ विभिन्न विकासात्मक परियोजनओं के प्रभावी समन्वय और दृढ़ निश्चिय के कारण यह संभव हो पाया है।

उन्होंने कहा कि ऊना जिले में स्वां नदी तटीकरण परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे भूमि कटाव पर रोक लगेगी तथा भूमि को पुनः खेती योग्य बनाया जा सकेगा, जिससे जिले के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में मल निकासी संयंत्र की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे कि शहर को साफ-सुथरा रखने में मदद मिलेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव व मुरम्मत के लिए 27 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

आओ दोस्ती निभाएं नशे को दूर भगाएं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में विशेषकर युवाओं को नशे की बुराई से दूर रखने के राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राज्य के सभी पाठशालाओं में दो अध्यापकों को बाल मित्र बनाया गया है जो प्रत्येक बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हि.प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किरण धान्टा ने बताया कि युवा वर्ग को नशे अथवा बुरी संगत से दूर रखने बारे आयोग द्वारा राज्य में अभियान चलाया जा रहा है। आयोग इस अभियान को 'आओ दोस्ती निभाएं, नशे को दूर भगाएं' उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान में स्कूली छात्र-छात्राओं की अहम भूमिका है। ये छात्र-छात्राएं अपने सहपाठी अथवा दोस्त को किसी भी परेशानी अथवा गलत संगत या फिर नशे की लत से संबंधित सूचना संबंधित पाठशाला में बाल मित्र अध्यापक को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर बच्चे की बुरी आदतों की सूचना प्राप्त होने पर उसकी काउंसलिंग करवाकर उसका जीवन खराब होने से बचाया जा सकता है।

किरण धांटा ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी द्वारा बाल मित्र को दी गई इस प्रकार की सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। इस प्रकार की सूचना बाल मित्र के अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी दी जा सकती है। आयोग ऐसे बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभिभावक भी अपने बच्चे के संबंध में इस प्रकार की सूचना बाल मित्र अथवा आयोग को दे सकते हैं।

उन्होंने सभी स्कूली छात्र-छात्राओं से तथा अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चे की गलत संगति अथवा नशे में लिप्तता संबंधी सूचना को कतई छिपाए नहीं, बल्कि बच्चे को नशे के दलदल से निकलने में मदद करें।

स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लायें अधिकारीः विपिन सिंह परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने राज्य के विभिन्न भागों में निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों के कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य में विलम्ब न्यायसंगत नहीं है।

वह शिमला में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकलापों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में 10 नागरिक अस्पतालों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है और अधिकांश का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कमला नेहरू अस्पताल शिमला के नव-निर्मित भवन को शीघ्र लोकार्पित करवाने को कहा। इस अस्पताल में बिजली के ट्रांसफार्मर पर 2.60 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान प्राप्त हुआ है और विद्युत विभाग को इसे शीघ्र स्थापित करने को कहा गया है।

बैठक में अवगत करवाया गया कि मण्डी अस्पताल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की जा रही है। कुल्लू अस्पताल के निर्माण की निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं और शीघ्र ही इसका कार्य आरंभ किया जाएगा। नूरपुर अस्पताल के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और एक करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके लिये मंत्री ने विभाग को उपलब्ध करवाने को कहा। बिलासपुर तथा ऊना अस्पतालों के कार्य में प्रगति न होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। इसी प्रकार सुंदरनगर अस्पताल का नक्शा बनाने में देरी को लेकर भी मंत्री नाराज दिखें।

विपिन परमार ने कहा कि सोलन जिला अस्पताल को बाईपास के समीप स्थानांतरित करने को लेकर लोगों की लंबे समय से मांग है, क्योंकि शहर के अंदर अस्पताल होने से वहां मरीजों को पहुंचाने में काफी कठिनाई आती है और अस्पताल के विस्तार के लिए भी उपयुक्त जगह नहीं है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से जमीन संबंधी मामले की प्रक्रिया को उपायुक्त सोलन के साथ शीघ्र पूरी करने को कहा।

स्वास्थ्य मंत्री सुपर स्पैशियलिटी खण्ड टांडा के ऑप्रेशन थियेटर के निर्माण कार्य पर असंतुष्ट दिखें। उन्होंने कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के बावजूद इसमें पानी की निकासी जैसी अनेक खामियां हैं जिससे मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि टांडा में पीजी हॉस्टल का निर्माण किया जाना है और इसके लिए 8.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने इसकी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा।

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 130 वैलनेस केन्द्रों की स्थापना शीघ्र करने को कहा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए दक्षिणी राज्यों की तर्ज पर अधोसंरचना को विकसित किया जाए और स्टॉफ के प्रशिक्षण की भी शीघ्र व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वैलनेस केन्द्रों के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी छः मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन तथा एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दो माह का समय निश्चित किया। उन्होंने आईजीएमसी शिमला की ओपीडी के शीघ्र निर्माण की भी बात कही। उन्होंने मेडिकल कॉलेज चंबा के सुधार व विस्तार की भी बात कही।

विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई घोषणाओं तथा बजट घोषणाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाएं लगभग पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 'निरोग योजना' शीघ्र लागू की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से इन घोषणाओं पर प्रगति को लेकर आगामी बैठक में प्रस्तुति देने को कहा। इसी प्रकार, उन्होंने विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 200 चिकित्सकों तथा कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से पैरा मैडिक्स के 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से विभाग में कुछ नया करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस पर विचार करें और उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने मेडिकल अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाएं शीघ्र प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर. डी. धीमान ने बैठक में बहुमूल्य सुझाव दिए और अधिकारियों को स्वास्थ्य भवनों के निर्माण के मामलों को लेकर लोक निर्माण तथा संबंधी एजेन्सियों से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा।

सरकार ने बजट के लिए मांगे सुझाव

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम-जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सुझाव 15 नवम्बर, 2018 तक वित्त विभाग के वैब-पोर्टल http:www.budget.hp.nic.in/bsp अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते है। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार ने किया वार्षिक कैशलैस उपचार कवरेज 5 लाख

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना तथा हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक कैशलैस उपचार कवरेज को बढ़ाकर प्रति परिवार पांच लाख रुपये किया है।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अन्तर्गत सालाना प्रीमियम को 365 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति परिवार किया गया है। लाभार्थी परिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का कैशलैश उपचार लाभ प्राप्त करने के लिए (पांच सदस्य प्रति परिवार) नामांकन के समय 1000 रुपये का भुगतान करेगा।

व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है।
.....महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

जयराम का 80 हजार करोड़ का स्वप्न

जयराम सरकार ने प्रदेश में 80,000 करोड़ का निवेश लाने का एक स्वप्न देखा है और इसे पूरा जमीन पर उतारने के लिये देश के भीतर और प्रदेश के बाहर विदेशों में भी निवेशकों के साथ बैठकें आयोजित करने जा रही है। इस संद्धर्भ में मुख्यमन्त्री/उद्योगमंत्री तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो कमेटीयों का गठन किया जा रहा है। विदेशों में संभावित निवेशकों के साथ यह बैठकें आयोजित करवाने के लिये दूतावासों का भी सहयोग लेगी। इस निवेश के लिये उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन एवम् स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र भी सरकार ने चिन्हित कर लिये हैं। इस पूरे देश/विदेश के आयोजन पर करीब 50 करोड़ प्रदेश सरकार खर्च करने जा रही है।

जिस प्रदेश का कर्जभार 50 हजार करोड़ को पहुंच चुका हो उस प्रदेश में 80 हजार करोड़ का देशी /विदेशी निवेश लाने का स्वप्न देखना एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर करे कि यह प्रयास एक दिवा स्वप्न बन कर ही न रह जाये। क्योंकि इस सरकार के पहले पूर्व सरकारों ने भी ऐसे प्रयास किये थे। निवेशकों को सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये कई नियमों/कानूनो का सरलीकरण किया गया था लेकिन अन्तिम परिणाम लगभग शून्य ही रहे हैं। आज उद्योगों के संद्धर्भ में प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य क्या है यह देखना और समझना बहुत आवश्यक होगा। वीरभद्र शासन में जब ऐसा प्रयास किया गया था उस समय उद्योग विभाग ने इस आश्य का एक प्रपत्र तैयार किया था। इस प्रकरण के मुताबिक प्रदेश में छोटे-बड़े पंजीकृत उद्योगों की संख्या 40 हजार कही गयी थी। इनमें निवेशकों का 17 हजार करोड़ निवेश बताया गया था तथा इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2,58000 कही गयी थी। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक इन उद्योगों को 2005 से 2014 के बीच 35000 हजार करोड़ के आद्यौगिक पैकेज भी मिले हैं। इस तरह 52 हजार करोड़ के निवेश से केवल तीन लाख लोगों को ही लाभ मिल पाया है। इसी के साथ एक कड़वा सच्च यह भी है कि प्रदेश का खादी बोर्ड और वित्त निगम जैसे संस्थान जो केवल उद्योगों को वित्तिय एवम् अन्य सुविधायें देने के लिये ही स्थापित किये थे आज बन्द होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। दोनो संस्थान अपने कर्जदारों का अता-पता खोजने के लिये कई योजनाएं तक घोषित कर चुके है लेकिन हर प्रयास असफल ही रहा है। यदि वित्त निगम द्वारा बांटे गये ऋणों और उनकी वसूली में बरती गयी अनियमितताओं का गंभीरता से संज्ञान लिया जाये तो इसके प्रबन्धन बोर्डो के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये जाने की नौबत आ जायेगी। पर्यटन का पर्याय बन चुके होटल व्यवसाय की अनियमितताओं का संज्ञान सारी शीर्ष अदालतें ले चुकी हैं। इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश घोशित करते हुए यह माना और प्रचारित - प्रसारित किया गया था कि अकेले ऊर्जा से प्रदेश के सारे संकट हल हो जायेंगे। लेकिन आज ऊर्जा का व्यवहारिक पक्ष यह है कि हर साल इससे आय में कमी होती जा रही है। सीएजी के मुताबिक ऊर्जा का योगदान प्रदेश के राजस्व में लगातार कम होता जा रहा है इस क्षेत्र का 2012-13 में 46.28% योगदान गैर कर राजस्व के रूप में था जो कि कर 2016-17 में घटकर 41.95 रह गया है। इसी तरह कर राजस्व 2012-13 में 5.68% से घटकर 2016-17 में 4.54% रह गया है जबकि ऊर्जा के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल निवेश का करीब 86% निवेशित है। ऊर्जा से हर वर्ष कर और गैर कर राजस्व में कमी आ रही है। सीएजी के मुताबिक जब उत्पादन लागत तो 4.50 रूपये यूनिट आ रही है और इसकी बिक्री करीब 2.80 यूनिट हो रही है। तब ऐसे में इस क्षेत्र के सहारे प्रदेश कर्ज के चक्रव्यूह से कैसे और कब बाहर निकल पायेगा?

आज के व्यवहारिक परिदृश्य में यदि प्रदेश की आद्यौगिक स्थिति का आंकलन किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी औद्योगिक नीतियां प्रदेश की स्थितियों के संद्धर्भ में प्रसांगिक नही रह पायी है क्योंकि जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ तभी आने वाली सरकार नई नीति लेकर आ गयी। यहां तक हुआ है कि 1990 से आज चार बार भाजपा सत्ता में और चारों बार अलग- अगल पॉलिसियां आयी। यही हालत कांग्रेस की रही है। किसी भी सरकार ने प्रदेश की जनता को यह नही बताया कि पिछली पॉलिसी का मूल्यांकन क्या रहा है और उसमें क्या व्यवहारिक कमियां रही है। प्रदेश में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी तब पहली बार औद्योगिक पॉलिसी लायी गयी। प्रदेश में चिन्हित हुए हर उद्योग के लिये सब्सिडी दी गयी। लेकिन आज उस समय के लगे उद्योगों में से शायद पांच प्रतिशत भी मौजूद नही हैं। जब - जब उद्योगों को राहतें उपलब्ध रही उद्योग यहां पर रहे और जिस दिन राहत पैकेज समाप्त हो गया उसके बाद उद्योग पलायन कर गये। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी पॉलिसीयों में व्यवहारिक कमीयां रही हैं।

पिछले दिनों प्रदेश के बैंको के साथ सरकार की बैठक हुई थी बैठक में यह सामने आया था कि हमारे बैंकों के पास लोगों की जितनी जमा पूंजी है उसके अनुपात में क्रैडिट बहुत कम है। क्रैडिट कम होने की चिन्ता करते हुए ऋण प्रक्रिया को और सरल करने तथा कई प्रोत्साहन देने की बात की गयी थी। सरकार ने कई घोषणाएं भी की थी लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ भी नही हो सका है। बैंक ऋण देते हुए सरकार की घोषणाओं से अपने को बांध नही पा रहे हैं क्योंकि बैंको को ऋणों के एनपीए होने का भी बराबर डर बैठा हुआ है। माना जा रहा है कि प्रदेश के बैंकों में जमा पड़े पैसे के निवेश के लिये ही सरकार निवेशकों को आमन्त्रित करने का प्रयास कर रही है। स्वभाविक भी है कि जब निवेशक प्रदेश के बैंको की अच्छी सेहत देखेगा तो वह निवेश के लिये यहां आ जाये। क्योंकि हर निवेशक अपनी जेब से केवल 25 से 30% तक ही निवेशित करता है और शेष वह वित्तिय संस्थानों से ऋण लेता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या यह निवेशक सरकार के प्रोत्साहनों से प्रभावित होकर यहां निवेश करेंगे अन्यथा स्थिति होगी कि जिस दिन प्रोत्साहन खत्म उसी दिन का पलायन।

इसलिये आज सरकार को यह बड़ा प्रयास करने से पहले एक श्वेतपत्र प्रदेश के मौजुदा उद्योगों पर जनता के सामने रखना चाहिये। जिसमें यह दर्ज रहे कि उद्योग का कुल निवेश क्या है और उसमें ऋण का अनुपात कितना है। उसमें कितने लोगों को प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध है। उस उद्योग से सरकार को कितना कर और गैर कर राजस्व प्राप्त हो रहा है इस प्रयास पर पचास करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है। यह प्रदेश की जनता का पैसा है और वह भी कर्ज का। यह प्रयास कहीं एक सैर सपाटा ट्रिप होकर ही न रह जाये इसलिये प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है।

वृद्धजनों के सपने करेगी साकार देव भूमि दर्शन योजना

प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटन की ओर

प्रदेश में लगभग सात लाख वृद्धजन हैं और प्रदेश सरकार वृद्धजनों के कल्याण के प्रति संवेदनशील है। प्रदेश के 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को प्रसिद्ध स्थलों एवं मन्दिरों का भ्रमण करवाने के लिए 'देव भूमि दर्शन' नामक नई योजना आरम्भ की गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को भ्रमण की यह सुविधा निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जबकि इससे कम आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा पैकेज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों के साथ सहायक के तौर पर एक सदस्य को यात्रा की अनुमति होगी, जिसको किराए में 80 प्रतिशत की छूट होगी।

देव भूमि दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के इस संवेदनशील वर्ग को सामाजिक उपेक्षा तथा अकेलेपन से बचाने की दृष्टि से उन्हें धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए सुगम एवं बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना है। वित्तीय बाधाओं तथा सुविधाओं के अभाव के कारण कई बार वरिष्ठ व्यक्ति ऐसी यात्रा करने में असमर्थ रहते हैं।

इस योजना से धार्मिक यात्रा के इच्छुक हिमाचली मूल के वृद्धजनों का यात्रा करने का सपना साकार हो सकेगा। इस योजना को सभी जिला मुख्यालयों में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा सकें। योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समितियां बनाई जाएंगी जो योजना को कार्यरूप देने की अन्य औपचारिकताएं पूरी करेंगी।

यात्रा की अवधि लगभग एक सप्ताह की होगी तथा इस यात्रा का लाभ उठाने के लिए वृद्धजन की आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल हिमाचली मूल के वृद्धजन ही उठा सकेंगे। इस यात्रा की सुविधा तीन वर्ष में एक बार ही उपलब्ध होगी। जिला भाषा अधिकारी को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और नियमों के अनुसार इस योजना को समय पर अमल में लाने का जिम्मा सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के अनछूए पहलुओं के संरक्षण व संवर्धन तथा पर्यटकों को सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से ने 'आज पुरानी राहों से' नामक नई योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत प्रदेश के जमा दो पास युवाओं को यथायोग्य प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सांस्कृतिक मार्गदर्शन नियुक्त किया जाएगा ताकि वे पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, इतिहास, स्थल की महत्वता तथा लोक गाथाओं और प्रचलित मान्यताओं के बारे अच्छे से बता सकें। इस योजना से जहां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह प्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातत्व धरोहर का खजाना माना जाता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक परिधि समिति गठित की गई है जिसमें विभाग के निदेशक के सदस्य सचिव बनाया गया है। जिला स्तरीय पर यह दायित्व जिलाधीश को सौंपा गया है ताकि जिला स्तर पर स्मारकों व स्थालों का चयन करके उन्हें इस योजना में शामिल किया जा सके। स्मारकों के चयन में स्थानीय विधायकों तथा ट्रैवल एजेंटों, टूअर ऑपरेटरों तथा होटल संगठनों के सुझावों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उददेश्य हर जिले में विलुप्त सांस्कृतिक विरासत को पुर्नजीवित करना, महान व्यक्तियों व स्मारकों, पुरात्तत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का इतिहास व नक्शे सहित संकेतक पट्टिकाएं लगाना, होम-स्टे योजना को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं को मार्गदर्शन के रूप में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

लोकतंत्र के डूबते जहाज को संभालना तो आप ही को है....

पुण्य प्रसून वाजपेयी

देश ऐसे तो मत ही चलाइए, जिससे एक तबके को लगे कि 2019 के चुनाव के बाद मुक्ति मिले तो आजाद होने का जश्न मनाया जायेगा, और सत्ता को पसंद करने वाले एक तबके को लगे कि वाकई एक अर्से बाद करप्ट और शाही व्यवस्था से मुक्ति मिली है। तो ऐसी सत्ता तो दस बरस और रहनी चाहिये। चार दिन पहले ही टेलीकम्यूनिकेशन के एक कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, मोदी सरकार के गुण गाते हुये 5 जी जल्द लाने का जिक्र कर रहे थे। तो उसी कार्यक्रम में भारती मित्तल सरकार की टेलीकॉम नीतियों को कोस रहे थे । इसी तरह देश के इतिहास में पहली बार सीवीसी सरीखे स्वायत्त संस्था की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को जब चीफ जस्टिस गोगोई ने नियुक्त करने का निर्देश दिया तो अटोर्नी जनरल का सवाल था क्या ऐसा संभव है?

ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा, नहीं ये सिर्फ सीबीआई केस के मद्देनजर है। यानी इसे एक्सेप्शनल माना जाये। यानी परम्परा स्थापित नहीं की जा रही है लेकिन देश हित में तात्कालिक जरुरत है तो फिर इसे सिर्फ अभी भर के लिये माना जाये। यानी सत्ता को लेकर कॉरपोरेट तक बंट चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई सरीखे केस पर अपने फैसले के मद्देनजर कहना पड़ रहा कि ये देशहित में है। तो फिर हम किस दिशा में जा रहे है या हम कितने दिशाहीन हो चुके हैं और हम लगातार चुनावी लोकतंत्र में ही देश का भाग्य खोज रहे हैं। तो फिर इससे ज्यादा त्रासदी कुछ हो नहीं सकती और शायद यही वह दौर है जब राजनीति के आगे नतमस्तक होता समाज और सत्ता के आगे नतमस्तक किया जा चुका संविधान देश का अनूठा सच बनाया जा रहा है और हम आप नंगी आंखो से देख रहे हैं। सोशल मीडिया के बहसों को देश के लिये सबसे महत्वपूर्ण बनाकर या कहे बताकर खामोश हो चले है। इस खामोशी को तोड़ने के लिये क्या किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है।

सरल शब्दों में कहे तो कोई दृष्टि या विजन है। क्योंकि सत्ता विरोध के स्वर खून में उबाल तो पैदा कर देते हैं पर रास्ता जायेगा किधर ये किसी को नहीं पता। हां पहली बार ये धीरे धीरे हर किसी को समझ जरुर आ रहा है कि इस बीमारी का कोई विकल्प नहीं होता। यानी देश को सत्ता की बिमारी लग गयी है तो इस जीवाणु को खत्म करना है। यानी ये बहस बेकार है कि एक बीमारी के बदले दूसरी कौन सी बीमारी आपको अच्छी लगती है। ध्यान दीजिये हालात बद से बदतर क्यों हो रहे हैं या फिर देश का नजरिया है क्या। सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त होकर मुनाफे कमाने वालो के हाथों में यानी निजी सेक्टर के हाथ में सबकुछ क्यों सौप रही है। एयर इंडिया यूं ही डूबता हुआ जहाज नहीं बना है। तकनीकी दौर में सबसे विस्तारित रहने वाला बीएसएनएल यूं ही सबसे ज्यादा सिकुड़ा नहीं है। सबकुछ सरकार ने बेचा है। मनमोहन सिंह के दौर में एयर इंडिया का भट्टा बैठा तो मोदी के दौर में जियो कुलांचे मार रहा है। यानी सार्वजनिक निगमों में छेद सत्ता ही करती है। सत्ता ही सरकारी ढांचे में छेद कर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है। प्राइवेट सेक्टर देश के ही संस्थानों की लूट में से कुछ कमीशन राजनीतिक फंड के तौर पर तो कहीं नेताओ के पीछे तमाम सुविधाओं को जुटाने के नाम पर खड़े नजर आते हैं। और ध्यान दीजिये हर सरकारी निगमों में डायरेक्टर की कुर्सी पर ऐसे ऐसे नेता मिल जायेंगे जो उस क्षेत्र को जानते तक नहीं है।

आलम ये हो चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के नौरत्न कंपनियों में डायरेक्टर पद पर ऐसे ऐसे छुटभैये नेता या सत्ता के करीबी नियुक्त हैं कि उनके ज्ञान को जानकर आपको या तो तरस आ जायेगा या आपका खून खौलने लगेगा। देश की तमाम सरकारी कंपनियो में 109 डायरेक्टर ऐसे नियुक्त हुए हैं, जिन्हें उस कंपनी का क...ख तक नहीं आता जिस कंपनी के वह डायरेक्टर हैं। मानवसंसाधन मंत्रालय जिसका जिम्मा देश की शिक्षा व्यवस्था को बनाना है उस मंत्रालय में 60 से ज्यादा अधिकारी पद पर ऐसे ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर दिये गये हैं जिनकी क्वालिटी स्वससेवक होना ही है। यानी संघ से जुड़े थे तो शिक्षा मंत्रालय में बैठ जाइये। और इस दौर का सच ये भी है कि 2014 में जब सरकार आई तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति बनाने की ही बात कही गयी पर 2019 जब दस्तक देने आ पहुंचा है तब भी नई शिक्षा नीति कहां अटकी पड़ी है, ये बताने के लिये देश के शिक्षा मंत्री तक तैयार नहीं है। हर दिन डिजिटल और तकनीक की पीठ पर सवार होकर कौन सी शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है, ये कोई नहीं जानता।

ध्यान दीजिये तो किसी पिछड़े इलाके से आये किसी व्यक्ति की तर्ज पर आधुनिक होने की व्यूरचना में ही देश को फंसा दिया गया है। यानी जिस तरह बुंदेलखंड से किसी व्यक्ति को लुटियन्स की दिल्ली में छोड़ दिजिये तो वह पानी – बिजली – खेती – मजदूरी – दो जून की रोटी – कपड़े सबकुछ भूल कर साफ हरी घास से लेकर अट्टालिकाओ और सडक पर हवाई जहाज की तरह दौडती गाडियों में ही कुछ देर के लिये खो जायेगा। कुछ ऐसा ही विकास के **ककहरे** में दुनिया घुमने वाले सत्ताधारी नेताओ के साथ हो चला है। दुनिया में जहां जहां जो चकाचौंध देखते हैं, उस चाकाचौंध तले अपने वोटरों को लाने की ऐसी ऐसी व्यूह रचना में खो जाते है कि सत्ता ही कमीशन लेकर निजी जहाजो पर दुनिया नापने वालो के सामने नतमस्तक हो कर कहती है, बस यही दुनिया भारत में ले आओ। और उसके बाद देश को ही दुहने का खेल शुरु कर दिया जाता है। तो जो लडाई न्यूनतम मजदूरी देख रही हो। खेती के इन्फास्ट्रक्चर की मांग कर रही हो। भूमि सुधार के नियम कायदे की सोच रही हो। अच्छी शिक्षा – बेहतर हेल्थ सर्विस की मांग में अटकी पडी हो। रोजगार के लिये छात्र – युवाओं का आक्रोश कैसे थमे इस पर विचार करने को कह रही है। संविधान की शपथ लेने वालों से संविधान में मिले हक को पूरा करने की गुहार लगाने के लिये संघर्ष कर रही हो। ये सब सत्ता के आगे काफूर तो होगा ही, और थक हार कर भारतीय वायुसेना प्रमुख भी देसी हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटिड को नाकाम बताने के लिये सामने आ जाये। रक्षा मंत्री की दिलचस्पी रक्षा सौदों में जाग जाये। सेनाअध्यक्ष युद्ध की जगह राजनीतिक युद्ध में खुद को फिट करती दिखायी देने लगे। तो फिर कौन पूछेगा कि देश की खेती नीति क्या होनी चाहिये। एनपीए ना बढ़े या कॉरपोरेट इकोनॉमी के सामानातंर स्वदेशी इकोनॉमी के कौन से तरीके अपनाये जाये। वाकई कौन पूछने की हिम्मत करेगा कि आखिर सांसदों की स्टेडिंग कमेटी कौन सी शिक्षा लेने के लिये हर महीने विदेशी टूर पर रहती है। और मोदी काल में ही जो 770 से ज्यादा विदेशी टूर सांसदो ने शिक्षा या ट्रेनिग के नाम पर किये उसका रिजल्ट क्या निकला।

ये सवाल इसलिये मायने नहीं रख रहे है क्योंकि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिये कोई विचार किसी के पास है ही नहीं। विचार के सामानांतर कोई ताकत और कोई सक्षम हालात का जिक्र कर सकता है। लेकिन सैकडों क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग लोग कोई वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था की क्यो नहीं सोच पा रहे हैं। आपका सवाल फिर हो सकता है कैसे संभव है। तो हमारा जवाब है राजनीतिक व्यवस्था डिगाने के लिये इस बार एक ही एंजेडा ले लिजिये। जो जीरो बजट में चुनाव लडेगा उसे ही जितायेगें। यानी जो भी चुनाव प्रचार में खर्च करते हुये दिखे उसे वोट नहीं देगें। यानी बिना पैसे चुनाव लडे तो जीत मिलेगी। कैसे संभव है ....अगली रिपोर्ट में बात होगी।

कैसा समाज बनाएंगे हम?

माननीय न्यायालय की स्मृति में विश्व के वे देश आए जहाँ व्याभिचार अपराध नहीं है लेकिन उनकी स्मृति में हमारे शास्त्र नहीं आए जो इस अपराध के लिए स्त्री और पुरूष दोनों को बराबर का दोषी भी मानते हैं और दोनों ही के लिए कठोर सजा और प्रायश्चित का प्रावधान भी देते हैं।

''डॉ नीलम महेंद्र''

क्या कानून की जवाबदेही केवल देश के संविधाान के ही प्रति है? क्या सभ्यता और नैतिकता के प्रति कानून जवाबदेह नहीं है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति का आचरण कानून के दायरे में तो आता हो लेकिन नैतिकता के नहीं?

दरअसल माननीय न्यायालय के हाल के कुछ आदेशों ने ऐसा ही कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया। धारा 497 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय को ही लें। निर्णय का सार यह है कि, 'व्याभिचार अब अपराध की श्रेणी में नहीं है।'

'व्यभिचार',अर्थात परस्त्रीगमन, जिसे आप दुराचार, यानी बुरा आचरण, दुष्ट आचरण, अनैतिक आचरण कुछ भी कह सकते हैं लेकिन एक गैर कानूनी आचरण कतई नहीं! क्योंकि कोर्ट का मानना है कि स्त्री पति की संपत्ति नहीं है। विवाह के बाद महिला की 'सेक्सुअल चॉइस' को रोका नहीं जा सकता है। जिसके कारण धारा 497 असंवैधानिक भी है। इसलिए औपनिवेशिक काल के इस लगभग 150 साल पुराने कानून का अब कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय के इस ताजा फैसले के अनुसार, आपसी सहमति से विवाह नामक संस्था के बाहर, दो वयस्कों के बीच का सम्बंध अब 'अपराध' नहीं है लेकिन तलाक का आधार अब भी है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दिए गए कोर्ट के इस आदेश ने भारत जैसे देश में बड़ी ही विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है।

क्योंकि 'विवाह', यह भारतीय संस्कृति में वेस्टर्न कल्चर की तरह जीवन में घटित होने वाली एक घटना मात्र नहीं है और न ही यह केवल एक स्त्री और पुरूष के बीच अपनी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन है। सनातन परंपरा में यह एक संस्कार है। जीवन के चार पुरुषार्थों को हासिल करने की एक आध्यात्मिक साधना जिसे पति पत्नी एक साथ मिलकर पूर्ण करते हैं। यह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो तीन स्तंभों पर टिका है, रति, धर्म और प्रजा (संतान) जीवन के चार आश्रमों 'ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्यास', में से एक महत्वपूर्ण आश्रम 'गृहस्थ', जिसका लक्ष्य शेष आश्रमों के साधकों के प्रति अपने दायित्वों का एक दूसरे के साथ मिलकर निर्वाह करना एवं संतानोत्पत्ति के द्वारा एक 'श्रेष्ठ' नई पीढ़ी को तैयार करना एवं पितृ ऋण को चुकाना होता है। सनातन संस्कृति में यह सभी संस्कार या कर्म जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होते हैं। क्योंकि जब हम मोक्ष की राह ,'धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष' इन चार पुरुषार्थों की बात करते हैं तो यह समझना बेहद आवश्यक होता है कि यहां धर्म का अर्थ रिलीजन न होकर 'धार्यते इति धर्मः', अर्थात् धारण करके योग्य आचरण या व्यवहार है। और इसलिए यहाँ धर्म केवल इन चार पुरुषार्थों में से एक पुरूषार्थ न होकर चारों पुरुषार्थों का मूल है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। अत: धर्म (आचरण) धर्मयुक्त हो, अर्थ यानी पैसा भी धर्म युक्त हो, और काम अर्थात् कामवासना की पूर्ति भी धर्म युक्त हो तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से विवाह (विवाह) अर्थात् एक ऐसा बंधन होता जिसमें स्त्री पुरूष दोनों मिलकर सृष्टि के प्रति अपनी विशेष जिम्मेदारियों का वहन करते हैं।

लेकिन इस सबसे परे जब आज कोर्ट यह आदेश सुनाता है कि आपसी रजामंदी से दो वयस्कों द्वारा किया जाने वाला एक कृत्य जो दुनिया की किसी भी सभ्यता में 'नैतिक' कतई नहीं कहा जा सकता अब अवैध नहीं है, इसे क्या कहा जाए?

माननीय न्यायालय की स्मृति में विश्व के वे देश आए जहाँ व्याभिचार अपराध नहीं है लेकिन उनकी स्मृति में हमारे शास्त्र नहीं आए जो इस अपराध के लिए स्त्री और पुरूष दोनों को बराबर का दोषी भी मानते हैं और दोनों ही के लिए कठोर सजा और प्रायश्चित का प्रावधान भी देते हैं। क्योंकि हमारी अनेक पुरातन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार के अनैतिक आचरण का दंड देवताओं और भगवान को भी भोगना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है। अपने अनैतिक आचारण के कारण इंद्र देव को गौतम ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा था, विष्णु भगवान को पत्थर बनना पड़ा था, और जगत पिता होने के बावजूद ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। इन कथाओं से एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस सृष्टि में सर्व शक्तिमान भी कुछ नियमों से बधे हैं और नैतिकता का पालन उन्हें भी करना पडता है नहीं तो दंड उन्हें भी दिया जाता है, प्रायश्चित वे भी करते हैं।

माननीय न्यायालय की स्मृति में ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश जॉन हॉल्ट का 1707 का वो कथन भी नहीं आया जिसमें उन्होने व्यभिचार को हत्या के बाद सबसे गंभीर अपराध बताया था।

हाँ, चाहे पुरुष करे या स्त्री, ये अपराध है और बहुत गंभीर अपराध है।

क्योंकि इसका परिणाम केवल दो लोगों के जीवन पर नहीं पूरे परिवार के आस्तित्व पर पड़ता है (कोर्ट ने इसे तलाक का आाार मानकर स्वयं इस बात को स्वीकार किया है)। जिसका असर बच्चों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। ऐसे टूटे परिवारों के बच्चे कल कैसे वयस्क बनेंगें और कैसा समाज बनाएंगे?

तो इन सब तथ्यों की अनदेखी करते हुए जब हमारे न्यायालय इस प्रकार के मामलों में त्वरित फैसले सुनाते हैं (धारा 497, केस 2017 की दिसंबर में दर्ज हुआ, फैसला सितम्बर 2018, सबरीमाला केस 2006 में दर्ज हुआ , फैसला 2018 और शनिशिंगणापुर केस जनवरी 2016 में दर्ज हुआ, फैसला अप्रैल 2016 के द्वारा महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे देते हैं) लेकिन राममंदिर मुद्दे की सुनवाई टल जाती है तो देश का आम आदमी बहुत कुछ सोचने के लिए विवश हो जाता है।

रियासतों के एकीकरण में वल्लभभाई पटेल का अह्म योगदान: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारत के लौह पुरूष सरदार बल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रिज मैदान शिमला में संबोधित करते हुए कहा कि रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभभाई पटेल का बड़ा योगदान था और यह उनकी दूरदृष्टि और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत संप्रभु राष्ट्र बना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में 562 से अधिक रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होने 562 रियासतों को भारतीय गणराज्य में विलय के लिए राजी किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 1946 के चुनावों में 15 में से 12 कांग्रेस समितियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को नामांकित किया था। उन्होने कहा कि गांधी के आग्रह पर सरदार पटेल ने नेहरू के पक्ष में यह पद त्याग दिया था, जो उनकी महानता तथा गांधी जी के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उन्होने कहा कि यह सरदार पटेल की मजबूत इच्छा शक्ति और प्रशासनिक सूझबूझ ही थी कि भारत की रियासतें एक झण्डे के नीचे आने पर सहमत हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता है कि इस तरह के एक महान व्यक्तित्व के सम्मान में उन्होने गुजरात के नर्मदा जिले के केवरिया गांव में सरदार सरोवर बांध के समीप सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊचें 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। उन्होने कहा कि यह मूर्ति न केवल भारत रत्न सरदार पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि यह मूर्ति देश के एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि वह इस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़े हैं, जिसके लिए उन्होने हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन सभी 3243 पंचायतों से मूर्ति के निर्माण के लिए लोहा एकत्र किया था।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने अम्बेदकर चौक चौड़ा मैदान शिमला से 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अंतर स्कूल वाद-विवाद तथा निबन्ध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है जब एक ओर राष्ट्र भारत रत्न सरदार पटेल की 143वीं जयंती मना रहा है, जिन्होने राष्ट्र के एकीकरण के लिए कार्य किया और दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने राष्ट्र की अखण्डता के लिए अपने प्राणों की आहूति दी थी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदेश को चार पुरस्कार:विपिन सिंह परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए विभिन्न चार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये पुरस्कार असम के काजीरंगा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य व नवीनीकरण पर पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन-2018 के दौरान प्रदान किए गए। राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक मनमोहन शर्मा ने प्राप्त किए।

उन्होने बताया कि दो पुरस्कार नवजात शिशु मृत्यु दर तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में इस वर्ष अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कमी दर्ज करने के लिए प्रदान किए गए हैं। प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में 15.8 प्रतिशत तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 18.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

तीसरा पुरस्कार ई-स्वास्थ्य कार्ड को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदान किया गया। ई-स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से 30 वर्ष या इससे अधिक की आयु के लोगों की 10 असंक्रामक और 15 उच्च जोखिम कारकों की जांच की जाती है।

चौथा पुरस्कार प्रदेश को गोवा, कर्नाटक, व लक्षद्वीप के साथ आंतरिक रोगी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में आदर्श राज्य बनाने के प्रयास कर रही है। इस दिशा में अनेक नई पहल की गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है और सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मानव शक्ति सुनिश्चित बनाने की प्रक्रिया जारी है।

भावानगर के लिए एम्बुलैंस सेवा की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में चार दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव-2018 के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति व परम्पराओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में प्रदेश की पहचान देवभूमि के रूप में होती है, क्योंकि यहां के लोगों का देवी-देवताओं में गहरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने में सहायक होते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि संस्कृति में भिन्नता के बावजूद राज्य शांति व सौहार्द के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सन्तुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग व समर्थन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उनके किन्नौर जिले के पहले दौरे में उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपये की योजनाओं के शिलान्यास तथा लोकार्पण किए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भावानगर के लिए एम्बुलैंस सेवा की घोषणा की। उन्होंने डिग्री कॉलेज रिकांगपिओ के लिए राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सरकार भावानगर और सांगला में अग्निशमन केन्द्र खोलने की मांग पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजकों द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों, बोर्डों तथा निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया।

नए पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास पर होंगे 480 करोड़ खर्च:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। एशियन विकास बैंक के तहत राज्य में अनछुए तथा नए पर्यटन गंतव्यों में अधोसंरचना के विकास पर 480 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। एशियन विकास बैंक ने राज्य के लिए 1892.04 करोड़ रुपये की ट्रैंच-2 परियोजना स्वीकृत की है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य में पर्यटन विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों पर 800 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि बुनियादी सुविधाओं, अधोसंरचना को सुदृढ़ करने तथा राज्य के अनछुए पर्यटन गंतव्यों में क्षमता निर्माण पर 480 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन स्थलों में सम्मेलन केन्द्र, पर्यटन सांस्कृतिक केन्द्र, फूड पार्क तथा पार्किंग स्थलों का विकास किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि नाहन, सोलन, पालमपुर, डलहौजी, ऊना, केलंग, ताबो तथा काजा शहरों के सौन्दर्यीकरण पर 180 करोड़ रुपये खर्च करने प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत धरोहर भवनों के संरक्षण और मुरम्मत पर 45 करोड़ रुपये तथा क्षमता निर्माण पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 'नई राहें-नई मंजिलें' नई योजना पर राज्य सरकार ने मण्डी जिला के जंजैहली, शिमला जिला के चांशल, कांगड़ा जिला के बीड़-बिलिंग तथा कुल्लू जिला के लारजी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलानियों तथा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रोहतांग सुरंग के दोनों ओर फूड पार्क तथा पार्किंग सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैलानियों की सुविधा के लिए राज्य में अधिक से अधिक रज्जू मार्गो की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में श्री आनन्दपुर साहिब-श्री नयना देवी जी रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए राज्य सरकार तथा पंजाब सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जो दो धार्मिक स्थलों को एक-दूसरे से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले धर्मशाला-मैकलोड़गंज रज्जू मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अगले वर्ष मई महीने तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि पलचान से रोहतांग रोप-वे का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि आदी-हिमानी से चामुण्डा और भूंतर से बिजली महादेव रोप-वे का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए उड़ान-दो के तहत छः गंतव्य चिन्हित किए हैं। इन गंतव्यों में बद्दी, शिमला, रामपुर, नाथपा-झाखड़ी, कंगनीधार (मण्डी) और मनाली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर अधोसंरचना के उन्नयन होने पर पर्यटकों के लिए बेहतर हवाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि शिमला के समीप संजौली में अगले वर्ष मई तक हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई मानव निर्मित जलाशय जैसे चमेरा, पौंगबांध, गोबिन्दसागर, तत्तापानी, लारजी और पंडोह हैं। इन सभी जलाशयों में साहसी और जल क्रीड़ाओं के लिए प्रमुख पर्यटक आकर्षण केन्द्र बनने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन झीलों को जल क्रीड़ाओं, शिकारा, नौकायन, हाउस वोट, सी प्लेन आदि अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पंडोह बांध पर जल क्रीड़ाओं तथा अन्य मनोरंजक गतिविधियों को शुरू करने के मुद्दे को भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड के साथ उठाएगी, जिससे इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकें। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा एवं आकर्षण के लिए आवश्यक अधोसंरचना का सृजन करके लारजी बांध को पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन रामसुभग सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि पर्यटन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इन सभी स्थानों को विकसित करके इन्हें पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों को इन पर्यटन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा स्कूली छात्र परिवार को तीन लाख रुपये की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन के नजदीक एक नेपाली युवक द्वारा 12 वर्षीय विद्यार्थी नागेश कुमार के अपहरण और बाद में उसकी हत्या किए जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने नागेश के पिता भगत राम से दूरभाष पर बात कर परिवार का हौसला बढ़ाया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह बहुत दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक मासूम की निर्मम हत्या से वह व्यक्तिगत तौर पर आहत हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश के लोग उनके साथ हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से शोक संतप्त परिवार को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा निर्धारित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों/उनकी विधवाओं, जो 60 वर्ष अथवा इससे अधिक, लेकिन 70 वर्ष की आयु से कम के हैं, को प्रदान की जा रही वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा 35000 रुपये (मनरेगा की आय को छोड़ कर) निर्धारित की है।

70 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लाभार्थी, जो किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कल्याण विभाग में पेंशन प्रक्रिया के आधार पर पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

गरीबों को मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा:नड्डा

शिमला/शैल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में हुए नीतिगत परिवर्तन से बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि भारत ने कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में लगातार दूसरे साल छलांग लगाई है। विश्व बैंक की ओर से जारी सूची में भारत ने इस साल 23 पायदान के सुधार के साथ 77वां स्थान हासिल किया है। भारत पिछले साल 100वें स्थान पर रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शासन की बागडोर संभाली थी तब कारोबार सुगमता में भारत का स्थान 143वां था। प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज देश कारोबार सुगमता में 77वें पायदान पर पहुंच गया है तथा शीघ्र ही पहले 50 देशों में अपना स्थान बना लेगा।

नड्डा धर्मशाला में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली से 'एमएसएमई 59 मिनट्स पोर्टल' के शुभारंभ कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर आयोजित सहयोग एवं सम्पर्क कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस मौके खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम की प्रभारी वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव अनुराधा ठाकुर भी इस मौके उपस्थित रहीं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में सामूहिक विकास तय बनाने के लिये सभी सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। इसी मकसद से छोटे-मझोले कारोबारियों के लिये केवल 59 मिनट्स में ऋण की मंजूरी की सुविधा के लिये यह पोर्टल आरम्भ किया गया है।

उन्होंने कहा कि देश में कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का है। निर्यात में

यह क्षेत्र 40 प्रतिशत भागीदारी करता है। लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के कल्याण की उतनी चिंता नहीं की गई, जितनी ज़रूरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की न केवल चिंता की, बल्कि उनके जीवन में सुधार और सुरक्षा तथा उन्हें सुविधायें प्रदान करने के लिये ठोस कदम उठाये हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना इस दिशा में किये गये अनेक प्रयासों में से एक हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10.74 करोड़ गरीब, वंचित परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का बल मिला है। करीब 55 करोड़ गरीब लोग, जो अधिक खर्चे के कारण ईलाज करवाने में असमर्थ थे, उन्हें 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिली है।

नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीयस्तर पर शानदार प्रदर्शन के लिये प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य व नवीनीकरण पर असम के काजीरंगा में 30 अक्तूबर 2018 को सम्पन्न हुए पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हिमाचल को श्रेष्ठ आंका गया है। पारितोषिक वितरण में सारे राज्यों में हिमाचल सबसे आगे रहा और प्रदेश को चार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह प्रदेश के सभी लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है।

इस मौके अपने सम्बोधन में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढावा देने के लिये अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। सरकार यह तय बना रही है कि जनकल्याण की सभी योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतरें।

ठाकुर ने कहा कि हिमाचली युवा प्रतिभावान हैं और युवाओं में हुनर की कोई कमी नहीं है। लेकिन युवावर्ग पूंजी के अभाव में स्वरोजगार के लिए उद्योग नहीं लगा पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की जिससे युवाओं को नए नौकरी के अवसर प्रदान करने में मदद मिले और बेरोजगार युवा सरकार की वित्तीय सहायता से स्वरोजगार लगा पायें।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रिज़ मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को उनकी पुण्य तिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने एकता, अखण्डता तथा आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ने की शपथ भी दिलाई।

इस अवसर पर धार्मिक भजनों का आयोजन किया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधायक विक्रमादित्य सिंह, शिमला नगर निगम की मेयर कुसुम सदरेट, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. डेजी ठाकुर, पूर्व सांसद विमला कश्यप, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार, पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी, उपायुक्त शिमला अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक

ओमापति जम्वाल व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बौद्धिक विकास के लिए भारतीय संस्कृति का ज्ञान आवश्यक:डॉ. सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए भारतीय संस्कृति के मूल्यों का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है और इस दिशा में विद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही नैतिक व सामाजिक मूल्यों की शिक्षा अहम योगदान दे सकती है। डॉ. सैजल सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में सर्व हितकारी शिक्षा निकेतन विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. सैजल ने कहा कि विद्यार्थी की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर-आंगन से आरम्भ होती है। अभिभावकों द्वारा दिए गये संस्कार विद्यार्थी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कारयुक्त शिक्षा विद्यार्थियों को श्रेष्ठ मानव बनाने में सहायक होती है।

उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने युवाओं को भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा गौतम बुद्ध सहित गुरूनानक की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से सिखाना होगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, विद्या भारती, इस दिशा में विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी इस देश की रीढ़ हैं। हमारे देश का सम्पूर्ण विकास तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रख कर सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा का महत्व तभी सार्थक सिद्ध होगा जब व्यक्ति समाज के प्रति अपने दायित्व को समझेगा। महान पुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेकर समाज के भले के लिए चिंतन करना होगा ताकि समाज में फैल रही कुरीतियों से सामूहिक तौर पर लड़ा जा सके। आज युवा पीढ़ी में नशे की आदत एक चुनौती बन चुकी है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि विभिन्न कुरीतियों से दूर रहें व नशा करने वाले बच्चों के विषय में विद्यालय को सूचित करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों को उनके घरद्वार पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र पर 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य जितेन्द्र शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की व विद्यालय की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।

फोरलेन संघर्ष समिति ने की 21 मुद्दो पर अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुन्डु से विस्तारपूर्वक चर्चा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुन्डु की अध्यक्षता में फोरलेन संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बचत भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में फोरलेन से प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के लिए केवल सड़कें ही एकमात्र साधन है अन्य और कोई भी विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़कों का नेटवर्क अच्छा होगा तभी प्रदेश का विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों की दशा को और अधिक किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है उस पर व्यापक रूप से कार्य किया जा रहा है ताकि सड़कों की मुरम्मत और रखरखाव को बेहतर बनाया जा सके।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फोरलेन संघर्ष समिति के साथ बैठक करने के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में कुल 21 प्वाइंट फोरलेन संघर्ष समिति ने जो फोरलेन से प्रभावित परिवारों के उठाए उन सभी मुद्दों पर क्रमवार विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने फोरलेन प्रभावित क्षेत्रों के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि फोरलेन के बनने से जो भी रास्ते, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके लिए संयुक्त सर्वे करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कें हैं, बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क को आर-पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं इसके साथ ही जैबरा क्रासिंग भी बनाए जाएंगे। फोरलेन प्रभावितों के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग के विषय पर विस्तृत रूप से मुरम्मत और बेहतर सुधारीकरण के बारे चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इन 21 मुद्दो में से कुछ मुद्दे ऐसे है जो स्थानीय जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय से निपटाया जाएगा। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन मामलों को निपटारे के लिए प्रदेश स्तर तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। उन्होंने फोरलेन प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि फोरलेन बनने की वजह से जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि जो भी प्रभावितों का जायज अधिकार है वह उन्हें मिल सके। उन्होनें फैक्टर-2 को लागू करने की बात पर चर्चा करते हुए कहा कि इसे प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने शेष बची भूमि की निशानदेही करने के लिए कहा कि तकसीम के लिए आवेदन करें आपसी सहमति से खानगी तकसीम करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन विस्थापितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जिला प्रशासन को उन मामलों में 6 माह के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। फोरलेन विस्थापितों पर किए गए झूठे केसों को वापिस लेने सम्बन्धी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इन सभी केसों की सूची भेजना सुनिश्चित करें ताकि इन मामलों की जांच की जा सकें।

उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा कि बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं व दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी मुद्दों को अमलीजामा पहनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

अपराधों के अन्वेषण में डी.एन.ए.के महत्व पर बल:पुलिस महानिदेशक

शिमला/शैल। पुलिस के अन्वेषणाधिकारियों को घटना स्थल से साक्ष्य के रूप में डी.एन.ए. एकत्रित करने व संगृहित करने के लिए बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था आगिल्वी के सौजन्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, पुलिस जिला बद्दी, गुप्तचर विभाग तथा अन्य पुलिस इकाईयों के 50 पुलिस अधिकारियो/अन्वेषणाधिकारियो ने भाग लिया।

पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश ने अपने उदघाटन भाषण में अपराधों के अन्वेषण में डी.एन.ए. के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अन्वेषणाधिकारी की किसी मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः उसे साक्ष्य को एकत्रित व सुरक्षित करने में सक्ष्म होना चाहिए। उन्होनें ओगिल्वी सस्थां की वाईस प्रैजिडेन्ट अरनीता वासुदेवा तथा संस्था के अन्य अधिकारियों का कार्यशाला के आयोजन के लिए धन्यवाद किया तथा बतलाया कि ऐसी कार्यशाला से प्रदेश पुलिस के अन्वेषणाधिकारियों को डी.एन.ए. पद्धति के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे उन्हें अपराधों के अन्वेषण में काफी मदद मिलेगी।

अनुराग गर्ग अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था ने कहा की इस कार्यशाला से सफल अन्वेषण करने के दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। इस कार्यशाला के दौरान वी.के. कश्यप भूतपूर्व मुख्य वैज्ञानिक, न्यायालिक विज्ञान निदेशालय नई दिल्ली, अनुराग गर्ग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था हि.प्र. अरूण शर्मा, निदेशक न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला, हि.प्र., विवेक सहजपाल, सहायक निदेशक, न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला ने बतौर वक्ता भाग लिया व डी.एन.ए. के सम्बन्धित अलग-अलग पहलूओं पर अपनी प्रस्तुति दी।

ओगिल्वी की वाईस प्रैजिडेंट अरनीता वासुदेवा ने कहा है कि डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग एक ऐसी प्रमाणित वैज्ञानिक पद्धति है, जो मानव तस्करी समेत विभिन्न तरह के आपराधिक मामलों की जांच में बेहद कारगर है इसलिए भारत में इसके प्रयोग को बढावा देना जरूरी है। डी.एन.ए. प्रोफाईलिंग से अपराधिक वारदातों की जांच में काफी मदद मिल सकती है। आपदा पीडितों, लापता एवं मृत लोगों की आसानी से पहचान की जा सकती है। इसमें त्रुटि होने की संभावना पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में कम से कम होती है। इसके बावजूद इस उन्नत जांच पद्धति का भारत में अब तक उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जैसा होना चाहिए। आज के परिदृष्य में यह जरूरी है कि अन्वेषणाधिकारी घटना स्थल से डी.एन.ए. साक्ष्य को एकत्रित करने व उसे संरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी.एन.ए. के सन्दर्भ में दिशा-निर्देश/ मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है जिससे अन्वेषणाधिकारियों को सही ज्ञान के साथ-साथ घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित करने में महारत हासिल होगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या जयराम सरकार मीडिया पर नियन्त्रण का प्रयास कर रही है

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने 3-10-18 को प्रदेश के सारे प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगमों के प्रबन्ध निदेशकों, बोर्डों के सचिवों और सारे जिलाधीशों को एक पत्र भेजकर निर्देश दिये हैं कि लोक संपर्क विभाग की अनुमति के बिना समाचार पत्रों

Urgent
Personal Attention

No. Pub-F(4)-4/2017
Government of Himachal Pradesh
Department of I&PR

From
The Additional Chief Secretary (I&PR) to the Government of Himachal Pradesh

To
1. All the Administrative Secretaries to the Government of H.P.
2. All the Heads of Departments in H.P.
3. The Managing Directors of all Corporations in H.P.
4. The Secretaries of all the Boards in H.P..
5. All the Deputy Commissioners, H.P.

Dated Shimla-2, the 3-10-2018 ~~September, 2018~~

Subject: Release of advertisement.

Sir/Madam,

Your kind attention is invited to the instructions issued by the Government vide U.O No. 15-11/96-Pub dated 6.7.1998, D.O letter No. 15-1/2001-Pub dated 09.01.2002 and letter no.15-11/2008-Pub-7581-7585 dated 16.09.2010, in which it has been made clear that Information and Public Relations Departments is a nodal agency of the State Government for release of advertisements to newspaper and other media, hence all the classified/display advertisements by the Government Departments, Boards and Corporations would be issued with the prior approval of the Information and Public Relations Department.

It has been observed that the instructions regarding release of advertisements to various newspapers and other media are not being strictly adhered to by some of the Departments/Boards/Corporations. Some of these institutions insist for particular newspapers while requesting to release an advertisement (classified/display) through Information and Public Relations Department, which creates an imbalance in the flow of release of advertisement. While some of these Institutions are not releasing

-2/-

-2-

advertisements to the newspapers and other media that has been released by Information and Public Relations Department and approved by the Government. Whereas, some Institutions are releasing advertisements on their own without taking prior approval of Information and Public Relations Department and later on ask for Ex-Post Facto approval. This has been viewed seriously at higher level.

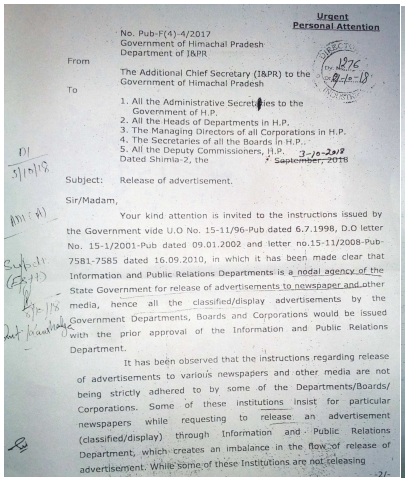

It is once again reiterated that all the Departments, Boards and Corporations will strictly adhere to the instructions of the Government with regard to release of the advertisements and do not insist for a particular newspaper in order to secure widest possible coverage of programmes of the Government so that equitable balance could be maintained in release of advertisement. Besides all Departments/Boards/Corporations shall not issue advertisements at their own level without the prior approval of the Information and Public Relations Department and ensure releasing the advertisements to the newspapers and other media released by the Information and Public Relations Department.

Yours faithfully,

(Shrikant Baldi)
Additional Chief Secretary (I&PR) to the Government of Himachal Pradesh

Endst. No. Pub-F(4)-4/2017 Dated Shimla-2, the 3rd October ~~September~~, 2018
Copy for information and necessary action to:-
1. PS to the Chief Secretary to the Govt. of H.P.
3. The Director, Information and Public Relations, H.P., Shimla-171002 w.r.t. his letter No.I&PR-H(F)6(Advt.)-8(AP)/2017-2891 dated 07.09.2018.

(Pradeep Sharma)
Under Secretary (I&PR) to the Government of Himachal Pradesh

Endst.No. 16-5/93-Ind-I(Estt.)-XIV –3441 Dated:
Copy forwarded to the following to compliance the instructions of the Government.
1. All the Heads of Office's, Department of Industries, Himachal Pradesh.
2. All the Programme Officers, Directorate of Industries, H.P. Shimla-1.
3. All the dealing assistant in establishment section, Directorate of Industries, Himachal Pradesh, Shimla-I.

Addl. Director of Industries (Admn)
Himachal Pradesh

एवम् अन्य मीडिया को विज्ञापन जारी न किये जायें। अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक संपर्क विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इस तरह के निर्देश सरकार द्वारा 6-7-1998, 9-01-02 और 16-09-10 को भी जारी किये गये थे लेकिन इनकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि कुछ संस्थान कुछ विशेष समाचार पत्रों को ही विज्ञापन जारी करते हैं और इससे असन्तुलन पैदा हो जाता है। कुछ संस्थानों द्वारा लोक संपर्क विभाग की अनुमति के बिना विज्ञापन जारी कर दिये जाने का कड़ा संज्ञान लिया गया है। इस पत्र से पूर्व जो 1998, 2002 और 2010 में तीन बार ऐसे निर्देश जारी किये जाने का जो उल्लेख किया गया है तब भी भाजपा ही सत्ता में थी संयोगवश इससे यही संदेश जाता है कि भाजपा मीडिया भी नियन्त्रण करने का इसी तरह से प्रयास करती है। पिछले कुछ अरसे में राष्ट्रीय स्तर पर भी मीडिया पर नियन्त्रण करने के केन्द्र सरकार के प्रकरण सामने आ चुके है।

प्रदेश में इस सरकार को सत्ता में आये दस माह हो चुके हैं। इस दौरान मुख्यमन्त्री औपचारिक तौर पर मीडिया से बहुत कम मिले हैं। संयोगवश इस समय मुख्यमन्त्री की टीम में वरिष्ठ लोग बहुत नगण्य हैं। बल्कि मुख्यमन्त्री सहित अधिकांश लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नेतृत्व से निकले है। छात्र राजनीति से निकले युवा नेताओं में धीरता और गंभीरता आने में समय लगता है क्योंकि यह स्वाध्याय से आता है और छात्र नेता होना तथा साथ ही स्वाध्याय का भी होना अक्सर विरोधाभास ही रहता है। शायद प्रदेश का दोनों पक्षों का अधिकांश नेतृत्व इसी धीरता और गंभीरता के संकट से गुजर रहा है। ऊपर से प्रदेश का प्रशासनिक नेतृत्व भी अधिकांश में ''आज तक'' ही सोचने तक सीमित हो गया है और इस कारण से उसकी निष्ठाएं भी स्व के स्वार्थ तक की ही हो गयी है। अन्यथा यदि नेतृत्व में थोड़ी सी गंभीरता होती तो शायद ऐसा पत्र लिखने की कोई भी राय न देता। पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक संपर्क स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार के संस्थान इन निर्देशों की अनुपालना नही कर रहे हैं और इससे असुन्तलन पैदा हो रहा है। यहां यह सवाल उठता है कि जब यह असंन्तुलन की स्थिति आपके संज्ञान में आ गयी तब आपने क्या इस आश्य की कोई पॉलिसी बनाई? क्या लोक संपर्क विभाग ने जो विज्ञापन जारी किये वह तो तीन दैनिक पत्रों के अतिरिक्त क्या किसी साप्ताहिक पत्र को जारी हुए शायद नही। साप्ताहिक पत्रों के साथ निवेशक लोक संपर्क की एक बैठक हुई थी इस बैठक को हुए चार माह से ज्यादा का समय हो गया है। इसमें विज्ञापनों को लेकर एक नीति बनाने का निर्णय हुआ था लेकिन आज तक यह नीति नही बन पायी है। बल्कि उस बैठक के बाद तो बिल्कुल विज्ञापन बन्द कर दिये गये हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि आज डिजिटल होने के युग में डीएवीपी और आरएनआई ने सामचार पत्रों के लिये उनकी अपनी वैबसाईट होना अनिवार्य कर रखा है। ऐसे में जिन समाचार पत्रों की अपनी वैबसाइट है और उसी के साथ वह सोशल मीडिया की विधाओं फेसबुक और व्हाटसएप पर भी उपलब्ध है। उनके पाठकों की संख्या कई दैनिक पत्रों से भी अधिक होगी क्योंकि पाठक तो सूचना देखता और चाहता है। जब उसे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ कोई समाचार मिल जाता है तो वह स्वयं उसे अधिक से अधिक शेयर करता है और उसी से सरकार की एक छवि बन जाती है।

इस परिदृश्य में यदि सरकार के इस पत्र का आकलन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यह पत्र जारी करने से पहले किसी ने भी इसके गुण दोषों पर विचार नही किया है। यहां यह स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है कि विज्ञापन पर खर्च होने वाला धन प्रदेश के आम आदमी का पैसा है और सरकार इसको खर्च करने में एक तरफा नही चल सकती। सरकार का यह पत्र सरकार के अपने ही खिलाफ एक ऐसा साक्ष्य बन जायेगा कि आने वाले समय में सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ पिछले दिनों घट चुका है उस पर हिमाचल सरकार का यह पत्र मोहर लगा देता है। इससे जयराम सरकार ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मीडिया के प्रति दृष्टिकोण सामने आ जाता है।

45 करोड़ के कैंसर अस्पताल के प्रति सरकार की गम्भीरता सवालों में

शिमला/शैल। केंद्र से मंजूर 45 करोड़ से इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल में बनने वाले टर्शरी कैंसर सेंटर के मामले को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हैं। आलम यह है कि शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में भी इस महत्वपूर्ण सेंटर का नोटिस तक नहीं लिया गया।

यह मामला शुक्रवार की एनजीटी आदेशों पर गठित इंप्लीमेंटेशन कमेटी में मंजूरी के लिए जाना था लेकिन नगर निगम ने अड़ंगा डाल दिया कि स्पॉट विजिट करना है। इसलिए इसे इंप्लीमेंटेशन कमेटी में मंजूरी के लिए ले जाया ही नहीं जा सका।

नगर निगम के पास यह मामला पिछले एक महीने से पड़ा है और अब निगम के अधिकारियों को मौके पर जा कर निर्माण स्थल का मुआयना करके रिपोर्ट देने का ख्याल आया है। हालांकि निगम के अधिकारियों का दावा है कि यह मामला आज की इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में अनाधिकारिक तौर पर चर्चा में आया व फैसला लिया गया कि इस मामले को 13 नवंबर को होने वाली सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक में ले जाया जाएगा। इससे पहले नगर निगम बाकी की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेगा। यहां यह गौरतलब है कि यह सब प्रक्रियाएं पहले भी पूरी हो चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी वैधता छह महीने तक ही होती है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आईजीएमसी से विभिन्न विभागों की एनओसी गुरुवार शाम को ही मिली। स्पॉट विजिट उसी के बाद होना है। बस इस एक वजह से यह मामला लटक गया है। अगर मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को अपने हाथ में लेते तो शायद यह इंप्लीमेंटेशन समिति में मंजूरी के लिए चला जाता।

लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जब यह इंप्लीमेंटशन कमेटी में गया ही नहीं तो सुपरवाइजरी कमेटी में सीधे कैसे ले जाया जा सकता है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले को इंप्लीमेंटेशन कमेटी के सदस्यों को 13 नवंबर से पहले मेल के जरिए सर्कुलेट कर दिया जाएगा। सदस्यों की कोई आपत्ति होगी तो वह सुपरवाइजरी कमेटी की बैठक में उठा सकते हैं। कमेटी के सदस्य इसे मानेंगे या नहीं यह बड़ा मसला है। एनजीटी के आदेशों के मुताबिक सुपरवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष प्रधान सचिव शहरी विकास व नगर नियोजन को बनाया गया है। लेकिन समिति के दो सदस्य प्रदेश के बाहर से हैं। 11 सदस्यीय सुपरवाइजरी कमेटी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन ज्योलाजी देहरादून के सदस्य भी शामिल हैं। आज की बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संयुक्त सलाहकर पुष्कर सहाय और वाडिया इंस्टीट्यूट से पर्यावरण वैज्ञानिक अजय कौल ने शिरकत की।

अब इस बात का इंतजार है कि नगर निगम इस मामले को सुपरवाइजरी कमेटी में कैसे ले जाता है व सुपरवाइजरी कमेटी इस पर क्या फैसला लेती है। 13 नवंबर को होने वाली सुपरवाइजरी कमेटी की अगली बैठक तीन महीने बाद फरवरी में होगी और इस अस्पताल के लिए मंजूर 45 करोड़ रुपए 30 मार्च 2019 को लैप्स हो जाने हैं। ऐसे में इस मामले का आज की इंप्लीमेंटेशन कमेटी में लाना जरूरी था। कोर एरिया में बनने वाले इस अस्पताल की पांच मंजिलें बननी प्रस्तावित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दो बंकर है जहां पर रेडिएशन की मशीनें लगनी हैं। डाक्टरों का कहना है कि मंजिलें तो कम भी की जा सकती हैं लेकिन बंकरों का बनना बेहद महत्वपूर्ण है। कोर एरिया में एनजीटी ने निर्माण पर पाबंदी लगा रखी है।

इसी बावत इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष व टीसीपी अध्यक्ष राजेश्वर गोयल ने कहा कि इस मसले पर कमेटी की बैठक में सदस्यों से चर्चा हुई ।

सैद्धांतिक तौर पर सभी सदस्य अस्पताल निर्माण को लेकर सहमत हैं। लेकिन 13 नवंबर को बैठक तक यह मामला निगम की ओर से आ जाना चाहिए।।

उधर, शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह मसला उठा ही नहीं। इस बैठक में निर्माणाधीन अस्पतालों की स्थित की ही समीक्षा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी.धीमान ने कहा कि एजेंडे पर ही बात हुई। इस अस्पताल को लेकर उन्होने कहा कि शुक्रवार को इंप्लीमेंटेशन कमेटी में जाना था। यह बताने पर कि यह नहीं गया तो उन्होंने कहा उनके ध्यान में मामला लाने के लिए शुक्रिया। इसको सिरे चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल को हाथ से नहीं निकलने दिया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय से मिली

.... पृष्ठ 1 का शेष

सहकारिता के माध्यम से प्रतिवादी बनाया गया है। इसी मामले में वीरभद्र सिंह एडीजीपी और एस पी विजिलैन्स को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से एचपीसीए मामले में एफआईआर रद्द होने से गदगद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अदालत से अब तक पांच एफआईआर रद्द हो चुकी है। अदालत से उन्हें लगातार राहत मिल रही हैं। कांग्रेस सरकार ने उस समय के मुख्यमंत्री के कहने पर झूठे केस बनाए थे। राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए ये मामले खत्म हो गए। उन्होने कहा कि अब कांग्रेस को भी सबक मिल गया होगा कि झूठे मामले बनाने से कुछ नहीं होता, सच की जीत होती है। धूमल ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं व जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में साथ दिया है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं।